फर्द अहकाम

(नियम 26)

जज अदालत ज़िला कलेक्टर मुकाम टोंक

जसराज सिंह बनाम मोहन सिंह

किस्म मुकदमा प्रा० पत्र स्थानान्तरण नं. 30 सन् 2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22/3/2021	अभिभाषक प्रार्थी उपस्थित है। प्रा० पत्र स्थानान्तरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रार्थना–पत्र के साथ माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय की सत्यप्रति भी संलग्न नही की गई है। पत्रावली का अध्ययन करने से जाहिर हे कि पुर्व में स्थानान्तरण का प्रार्थना–पत्र अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जिसे दिनांक 6.03.2020 को अस्वीकार किया जा चुका है। अति० जिला कलेक्टर के निर्णय को छुपाकर प्रार्थना–पत्र स्थानान्तरण राजस्व मण्डल अजमेर के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा प्रार्थना–पत्र यह अंकित करते हुए खारिज किया हे कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 237 के प्रावधानों के अनुसार जिला कलेक्टर को शक्ति प्रदान की गई है प्रकरण जिला कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना चाहिये था ना कि राजस्व मण्डल में। इस आधार पर यह प्रकरण निरस्त किये जाने योग्य है। प्रकरण टोडारायसिंह क्षेत्र का है, राजस्व प्रकारणो में सुनवाई की जो शक्तियां जिला कलेक्टर को प्रदान की गई हैं वही शक्तियों टोडारायसिंह क्षेत्र के प्रकरणों में अति० जिला कलेक्टर टोंक को प्रदान की हुई हैं। पार्थना–पत्र स्थानान्तरण की सुनवाई जिला कलेक्टर की शक्तियों के तहत पुर्व में अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक द्वारा की जाकर दिनांक 6.03.2020 को निर्णय पारित किया जा चुका है। प्रकरण न्यायालय हाजा में कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। अतः प्रार्थना–पत्र अस्वीकार किया जाता है। प्रार्थना पत्र निर्णित शुमार होकर बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। जिला कलेक्टर टोंक Signature Not Verified Digitally signed by Gaurav Agrawal Date: 2021.04.06 11:16:52 IST Reason: SelfAttested	

Scanned by CamScanner